

MR. CHAIRMAN: Now we come to item 27. The question is:

"That the Bill to confer on the President the power of the Legislature of the State of Nagaland to make laws, as passed by the Rajya Sabha, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN: Now we take up Clause-by-Clause consideration. There are no amendments. Therefore, I will put Clauses 2 and 3 for adoption. The question is:

"That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill".

*The motion was adopted.*

*Clauses 2 and 3 were added to the Bill.*

*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI K. BRAHMANANDA REDDY: I beg to move:

"That the Bill be passed".

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

*The motion was adopted.*

17.33 hrs.

DEFENCE OF INDIA (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI K. BRAHMANANDA REDDY): Sir, I beg to move:

"That the Bill to amend the Defence of India Act, 1971, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

1168 LS-7

Sir, the Proclamation of Emergency was made by the President on the 25th June 1975 in the context of threat to the security of India by internal disturbances. There was immediate need for enactment of a suitable law to meet the requirements of the emergent situation. The Defence of India Act, 1971, which was passed by the Parliament in the wake of the Proclamation of Emergency made on 3rd December 1971 was meant to provide for "special measures to ensure the public safety and interest, the Defence of India and civil defence and for the trial of certain offences and for matters connected therewith" in the perspective of threat to the security of India by external aggression. It was felt that the provisions of the Defence of India Act which had been found useful in dealing with a situation where the security of the country was threatened by external aggression could also be effectively used for dealing with the new Emergency which was declared when the security of India was threatened by internal disturbance. This, however, required the enlargement—this is the main thing—of the scope of the Act to specifically cover the needs of the Proclamation made on the 25th June 1975. As the Parliament was not in session, the President had to promulgate the Defence of India (Amendment) Ordinance, 1975, on 30th June 1975, to extend the Defence of India Act to meet the requirements of threat to the security of India by internal disturbance. The present Bill seeks to replace the Ordinance.

As may be seen from its provisions, the Bill does not envisage any new powers which are not already available under Defence of India Act and the Rules framed thereunder, which are in force since the promulgation of the earlier Emergency on the 3rd December, 1971. All that the Bill seeks to achieve is to specifically extend the scope of the Defence of India Act to cover the requirements of internal

[Shri K. Brahmananda Reddy]

security. If you see the various clauses, they say "add internal security" after such and such word.

It proposes to rename the Defence of India Act accordingly as the Defence and Internal Security of India Act and introduce corresponding and consequential changes in such of the provisions of the Act which relate to 'civil defence' to make them include 'internal security' also.

The amendments proposed in the Bill are the minimum necessary for purposes of maintenance of internal security in the context of the Proclamation made on 25th June, 1975 to meet the threat to the security of India by internal disturbance. Care has also been taken to suitably amend Section 38 of the main Act so that the ordinary avocations of life and enjoyment of property are not interfered with unnecessarily, even while the provisions of the Act are resorted to for maintenance of internal security.

This is a simple amendment. I hope this House will pass it.

श्री हरखंडे राय (घोसी) : मान्यवर, जैसा कि अभी गृह मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि राष्ट्रपति जी ने जो अध्यादेश जारी किया था, उसी को विधेयक कानूनी शक्ति देने के लिए यह विधेयक लाया गया है। सरकार का यह भी दावा है कि इसमें कोई अतिरिक्त विस्तीय भार सरकार के ऊपर नहीं पड़ेगा और यह बात भी सही है कि भारत रक्षा अधिनियम, जिसका क्षेत्र केवल बाहरी आक्रमण की सीमा तक ही था, आन्तरिक अशांति या गड़बड़ियों को रोकथाम करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए, इस दृष्टिकोण से यह विधेयक लाया गया है।

श्रीमान्, जिन स्थितियों में यह आन्तरिक सुरक्षा कानून का साथ अधिकार संस्कार अपव हाथों में ले रही है, उस से हम अच्छी तरह परिचित हैं। इसका आरम्भ गुजरात के स्वतःस्फूर्त आन्दोलन से माना जाता है। उस आन्दोलन को हम दो चरणों में बांट सकते हैं। एक तो स्वतःस्फूर्त आन्दोलन का रूप था और दूसरा चरण तब आया जब वहां की प्रभावशाली पार्टियां उसमें दखल देने के लिए आ गईं। तब से यह आन्दोलन भी विकृत हो गया और अपने सही रास्ते से भटक गया। उससे जय प्रकाश जी को एक नई रोशनी मिली और उसी रोशनी का प्रयोग उन्होंने बिहार में करना शुरू किया। गुजरात और बिहार के आन्दोलनों में एक महत्वपूर्ण गणात्मक अन्तर था। गुजरात का आन्दोलन स्वतः स्फूर्त विद्यार्थियों के आन्दोलन से शुरू हुआ लेकिन बिहार का आन्दोलन संगठित तौर से ऊपर से थोपा हुआ था। दयं कि भ्रष्टाचार, बेकारी और महंगाई केवल बिहार में ही नहीं रही थी और न है, वह तो सारे भारत में है और सारा भारत उससे त्रस्त रहा है और आज भी है चाहे इमैरजेन्सी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। यह सर्वमान्य बात है।

बिहार में जय प्रकाश जी को सफलता नहीं मिली, न उनकी मांग के मुताबिक सरकार को भंग किया गया और न विधान सभा भंग की गई। वह एक प्रकार से कहा जाए तो बिहार में असफल हो गये। उस असफलता को छिपाने के लिए वह दूसरे प्रदेशों में भ्रमण के लिए गये और वहां पर उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। इसका मतलब यह था कि जो चिंगारी बिहार में लगाए थे, उसे पूरे देश में फैलाया जाए और बिहार में अपनी असफलता को छिपाने के लिए उन्होंने लोगों का ध्यान दूसरी जगहों पर आकृष्ट किया ताकि लोग बिहार की असफलता को समझ न पाएं। इस लम्बी कहानी में जाने की जरूरत नहीं है लेकिन मान्यवर, मैं इतना ही कहूंगा कि जब तक जय प्रकाश जी का आन्दोलन

बिहार में था तो वह बेचारा एक बेगुनाह और निर्दोष जैसा लगता था और ऐसा मालूम होता था कि कुछ सुधारों के लिए वह आन्दोलन हो रहा है। उनकी राजनीतिक दुरभिसन्धि का पता सबको नहीं था और पता नहीं कि सरकार को भी इसका पता था या नहीं। मुझे इसमें सन्देह लगता है कि सरकार को इसका पता था वरना इतनी लम्बी छूट नहीं दी जाती। अब मैं एक कदम और आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस दुरभिसन्धि का पर्दा उस समय उठा जब दिल्ली में जयप्रकाश जी तशरीफ लाए और गैर-कम्युनिस्ट विरोधी दलों की एक मीटिंग उन्होंने की और उसमें उन्होंने राष्ट्रीय संग्राम समिति या नेशनल कामार्डी-नेशन कमेटी का निर्माण किया। उस समय कुछ बुद्धिजीवी जनों ने उसकी असलियत को समझा और उमके पीछे क्या बात है उसको वे भाप पाए। उसमें जो गहरी राजनीति छिपी हुई थी, उस को वे समझ पाए। बाद की घटनाओं से हम सब परिचित हैं खास तौर से यह बढ़ते बढ़ते 25 जून तक पहुंची और यह बात सही है कि अगर 25 जून को सरकार ने हमला न किया होता और 29 जून को जयप्रकाशजी और उनकी मंडली ने हमला कर दिया होता, तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि देश की स्थिति आज दूसरी ही होती। इसलिए हमारे दल और हम लोगों ने हादिक समर्थन किया है इमरजेंसी कानून का और आन्तरिक सुरक्षा कानून के लागू करने का और इस डी० आई० आर० के परिवर्तन का भी हम समर्थन करते हैं। एक बात जरूर है कि अधिकार बेहद सरकार के हाथ में थे, सरकार के हाथ में और अधिकार दिया जा रहा है। सरकार स्वयं इन अधिकारों को ले रही है और इनके प्रयोग की भी सम्भावनाएं हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि भ्रम बहुत तरह से फैला हुआ है। यहां पर विरोधी दलों में से ही कुछ लोगों ने कहा कि जब हाईकोर्ट का फैसला हुआ और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उसके विपरीत पूरी तरह से नहीं हुआ और आंशिक परिवर्तन के साथ

वह फैसला हुआ और गुजरात में कांग्रेस की जबदस्त हार हुई, तब इस तरह का कदम उठाने की जरूरत पड़ी यानी जब सत्ता पर इतरा दिखाई पड़ा तब ज्ञान चक्षु खुल गये। इस प्रकार का प्रचार देश में है। ऐसे प्रचार को खंडित करने का प्रयास सरकार की ओर से जम कर, संगठित रूप से और सफल तौर पर होना चाहिए।

मान्यवर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत पुराने प्रसिद्ध नेता गोपालन जी ने कहा कि भारत सरकार ने समाजवादी देशों और सोवियत यूनियन और हेनोई तक को मिस-गाइड या मिसलीड किया है और उनमें भ्रम फैला दिया इसलिए ये समाजवादी देश इमरजेंसी का समर्थन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। सोवियत यूनियन इतनी आसानी से भ्रम में पड़ने वाला महाराष्ट्र नहीं है। अभी तक इतिहास की कोई नज़ीर इसके बारे में पेश नहीं हुई है। दूसरे समाजवादी देश इतनी जल्दी भारत की इतनी स्पष्ट नीति पर भ्रमित हो जाएं, इसकी भी आशंका नहीं की जा सकती। और हेनोई, जिस हिनोई की बीर जनता ने डा० हो ची मिन्ह की बीर जनता ने 30 वर्ष के अन्दर चार-चार साम्राज्यवादी शक्तियों—फ्रेंच, जापानी, ब्रिटिश और अमरीकी को धूल चटा दी, उस जनता को हिन्दुस्तान की सरकार कैसे भ्रमित कर सकती है। ऐसा कहना समाजवादी देशों का घोर अपमान है। गोपालन जी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी।

मान्यवर, यह कुंठित विचारधारा है और सारे जगत में ऐसी विचारधारा पाई जाती है। जो विचारधारा नृशंस हत्यारे और नरराक्षस याहया खां का समर्थन कर सकती है लेकिन स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी श्री मुजीबुर्रहमान का समर्थन नहीं कर सकती, जो पाकिस्तान के जन आन्दोलन का खुलेआम विरोध करती है, उसका समर्थन नहीं कर सकती, इस तरह की कुंठित विचारधारा से देश को बचाना चाहिए।

[श्री शारबंडे राय]

मैं सरकार से एक बात कहना चाहूंगा। उन को भी पता होगा कि केवल दमन से ही काम नहीं चलेगा। इसीलिए 20 सूत्री प्रोग्राम की चर्चा की गई है। कहीं पर यह 20 सूत्री प्रोग्राम है और कहीं पर 21 सूत्री प्रोग्राम, खैर मैं यह कहूंगा कि 20 सूत्री प्रोग्राम की जो चर्चा की गई है वह बहुत प्रशंसनीय और प्रगतिशील कदम है यद्यपि इनमें कोई नुनियादी नई बात नहीं है। एक यात मैं गृह मन्त्री जी से कहूंगा। आप तो एक पुराने वयोवृद्ध कांग्रेसी हैं और बहुत से दौरों में आपने कांग्रेस की सेवा की है और कांग्रेस के माध्यम से देश की और जनता की सेवा की है। आठवीं कांग्रेस में आप लोगों ने समाजवाद का प्रस्ताव पास किया था। 1971 में देश के मामले जिस तरह के वायदे किये गये थे, गरीबी हटाओ या समाजवाद की तरफ बढ़ने की यह सर्व-विदित है।

अभी हाल ही में नरौरा का डिसमी प्रोग्राम की चर्चा हुई। इन तरह के छोटे बड़े स्तर के कैम्प सारे देश में लगे। वहां इन प्रोग्रामों की चर्चा हुई। आठवीं से लेकर आज तक यह 20 या 21 सूत्री कार्यक्रम तक का एक बहुत लम्बा दौर है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या आप हृदय पर हाथ रख कर कह सकते हैं कि आपने उन वादों को पूरा किया है, जो आपने जनता के साथ किये थे? आपने नहीं किया है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ। यह विचार उन अखबारों का है जो आपके प्रबल समर्थक रहे हैं और हैं। वैसे तो बहुत से और सैकड़ों अखबार आपके समर्थक हैं लेकिन जो प्रबल समर्थक हैं उनसे ही, सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा में कुछ उद्धरण आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जिसमें आपको अंदाजा हो सकता है कि किस तरह का भ्रम या मन्देह कांग्रेस के वादों पर बना हुआ है। 'बिल्डज' जो आपका बहुत भारी समर्थक है लिखता है :

“संकट की घड़ी में जैसे भगवान् को याद किया जाता है, ठीक उसी तरह

कांग्रेस आज के बेमिसाल राजनीतिक संकट में फँस कर जनता से किए हुए वादों की भाला जप रही है। ये वादे 1969 में बम्बई के कांग्रेस अधिवेशन से शुरू होकर पिछले वर्ष नरौरा में उच्च स्तरीय शिविर में तैयार किए 13 सूत्री कार्यक्रम तक फैले हुए हैं।”

मैं पूछना चाहता हूँ कि इससे कोई सन्देह या शक की झलक मिलती है या नहीं मिलती है ?

‘सेवाग्राम’ की शिकायत को भी आप देखे। वह अखबार सरकार और कांग्रेस के बीस सूत्री प्रोग्राम का प्रबल समर्थक है। बराबर कांग्रेस के पक्ष में इसमें लेख निकलते रहते हैं। उसमें एक लाइन बड़े मार्क की छपी है। वह कहता है :

“देश ने प्रधान मन्त्री के 20 सूत्री कार्यक्रम का खुले दिल से स्वागत किया है, पर जनता के दिल का चोर फिर पूछ बैठता है कि क्या सरकार उन कार्यक्रमों को अमल में ला सकेगी ?”

क्या यह चुनौती आपके लिए नहीं है ?

ऐसे ही एक और अखबार लिखता है :

“जनता अपना बर्तव्य निभा रही है। हम मांग करते कि इंदिरा सरकार अपने उन वादों की पूरा करे जो उसने जनता से किये थे। गरीबी हटाओ और नरौरा प्रोग्राम सिर्फ नारे नहीं रहने चाहिये बल्कि उन्हें ठोस अमली रूप देना अत्यन्त आवश्यक है ताकि जनता के दुखों का समाधान हो सके।”

एक और अखबार ने अपनी जो भावना प्रकट की हैं इस संदर्भ में उसको भी मैं उद्धृत करना चाहता हूँ। यह इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं शक की बात कर रहा हूँ और

आपका इतिहास लम्बी वादा खिलाफियों का इतिहास है। वह कहता है :

“इस स्थिति में यह समझना कि कांग्रेस आसानी से जनता का विश्वास दुबारा प्राप्त कर सकेगी, कोरी कल्पना होगी। कांग्रेस को अपनी दो मुही नीतियों का छोड़ना होगा, जो उसके लिए आसान नहीं है, क्योंकि बिड़लाओं, मोदियों, पोद्दारों, जैनियों और सिघानियों की भी यही कोशिश है कि कांग्रेस जनता को धोखा देती रहे और इन्ही दो मुही नीतियों पर चलती रहे।”

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का बहुत ही सर्व प्रिय साप्ताहिक 'पूर्वी संदेश' अखबार है जो कि बहुत प्रगतिशील अखबार है और हर कदम पर कांग्रेस का समर्थन करता रहता है और श्रीमती इंदिरा गांधी के हर एलान का समर्थन करता है . . . उगने भूमि सुधारों के बारे में जो अपने भाव प्रकट किए हैं वे काफी रोचक भी हैं, और दर्दनाक भी। आज के शामक जो सत्ता में हैं और जो नये अधिकार इन संशोधनों से ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए एक सोचने वाली बात उसने पेश की है। वह कहता है :

“देश की आजादी के पहले से ही इस बात पर समुचित जोर दिया गया था कि देश की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए भूमि सम्बन्धों में क्रान्तिकारी तबदीलियां आवश्यक होंगी। इसीलिए देशवासियों में स्वाभाविक आशा आकांक्षा पैदा हुई थी कि स्वतन्त्र होने के बाद धरती पर उसके जोतने बोलने वालों का अधिकार होगा, धरती का मालिक वह बनेगा जो उसे जोते बोयेगा। कोई यह नहीं कहता

कि भूमि सम्बन्धों में सुधार हद बन्दी और बंटवारे का काम पलक झपकाते पूरा हो जाता लेकिन आजादी के 27 वर्ष बाद भी आज जो स्थिति है वह निश्चित रूप से असह्य है।”

आगे वह लिखता है :

“सरकारी निश्चयों और फैसलों के के बावजूद बरगत वर्षों में जमीन की जो छीन झपट, चोरी और बन्दरबांट हुई है उसके लिए हम सभी प्रत्यक्षदर्शी हैं। सरकार इन गलत कार्यों को रोकने और ऐसा करने वालों को कोई भी सजा दे पाने में असमर्थ रही है। उलटे आज भी जमीन चोरी करने वाले समाज में पर्याप्त हैं, उन्हें सामाजिक मर्यादा मिली हुई है और भूमि शोषण व उत्पीड़न का शिकार हैं। भूमि सम्बन्धों में सुधार के जो आंकड़े पेश किए जाते हैं वे अधिकांशतः कागजी हैं। फालतू जमीनों के आवंटन के पट्टे भूमिहीन ले कर वर्षों से धूम रहे हैं और उन जमीनों पर आज भी प्रभावशाली लोगों का कब्जा है। बड़े लोगों की जमीन तो फालतू हो ही नहीं पाई है, उन्होंने अपनी जमीनें कुत्ते, बिल्लियों तक के नाम दर्ज करा डाली है या फर्जी तौर पर बेचीनामा कर डाला है जब कि मौके पर वही काबिज है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधारों के सम्बन्ध में अगुआ माना जाता है लेकिन यहां अब बेनामी खातेदारों को नोटिस देने की बात की जा

[श्री झारखंडे राय]

रही है और प्रभावशाली व्यक्ति इसे किस हद तक कारगर होने देंगे यह कह पाना कठिन है। केन्द्रीय कानून मंत्री श्री पंच० आर० गोखले ने अभी हाल में इस बात पर घोर चिन्ता व्यक्त करते हुए एक बात की ओर भी स्पष्ट कर दिया है कि संविधान में कोई ऐसी धारा नहीं है जो क्रान्तिकारी भूमि सुधारों के रास्ते में रोड़े अटकाए। तब प्रश्न यह उठता है कि आखिर अब तक इच्छित भूमि सुधार क्यों नहीं हुए? निश्चिन्त रूप से राजनीतिक इच्छा और दृढ़ता की कमी ही इसका कारण है। सत्तधारी लोग कानूनों की अवहेलना करने वाले प्रभावशाली और धनी व्यक्तियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने का साहस ही नहीं जुटा पाए। लेकिन अब ऐसा करने से कतराना उनके लिए ही घातक होगा। अगर किसी और बात के लिए नहीं तो कम से कम अपने अस्तित्व के लिए ही उन्हें साहस के साथ कदम आगे बढ़ाना होगा।”

इमरजेंसी तथा सत्ता का दुरुपयोग भी शुरू हो गया है। मैं नजीर पेश करूंगा। मिर्जापुर जनपद में रेणूकोट में हिंडालको नाम का एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमीनियम का कारखाना है। यह बिड़ला बन्धुओं का है। उसके सर्वमान्य मजदूर नेता लल्लन राय, जो हिंडालको प्रगतिशील मजदूर सभा के चर्किंग प्रेजिडेंट हैं, ने वहां के मैनेजर और डायरेक्टर श्री कोठारी को एक चिट्ठी लिखी कि हम और आप मिल कर उत्पादन बढाए और जो मतभेद और झगड़े हैं उनको मुल्तवी रखें और द्विपक्षीय वार्ता से सब मामलों को निपटाए। कोठारी साहब जो घनश्याम दाम बिड़ला के बहुत चहेते हैं, श्री लल्लन राय को जवाब देते हैं कि आपके विकृत मस्तिष्क के सुझावों की हमें कोई जरूरत नहीं है। हिंडालको के प्रबन्धक सक्षम हैं अपनी व्यवस्था करने में। यह कैपिटल का रुब है लेबर की ओर। देश के सकट की इस घड़ी में लेबर सहयोग और सहकार का हाथ आगे बढाती है और पूजी उस पर ठोंकर मारती है।

MR. CHAIRMAN: The hon Member may continue tomorrow.

18.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July 29, 1975/Sravana 7, 1897 (Saka).